

द बगि पकिचर : खान एवं खनजि (संशोधन) वधियक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा ने [खान और खनजि \(विकास तथा वनियिमन\) \(MMDR\) संशोधन वधियक, 2021](#) को मंजूरी प्रदान कर दी है।

- इस वधियक द्वारा [खान और खनजि \(विकास और वनियिमन\) अधिनियम, 1957](#) जो कि भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है, में संशोधन किया जाना है।

प्रमुख बडि :

- **MMDR अधिनियम, 1957:** खान और खनजि क्षेत्रों का प्रबंधन खान और खनजि अधिनियम, 1957 के तहत किया जाता है जिसमें नमिनलखिति प्रावधान किये गए हैं-
 - देश की खनन पट्टियों का प्रशासन।
 - खनन पट्टियों को दिये जाने के पीछे उद्देश्य।
 - जनि क्षेत्रों में खानों की नीलामी की जाती है, उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की बेहतरी को कैसे सुनिश्चित किया जाए।
- **भारत की खनजि क्षमता:** भारत की खनजि क्षमता दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के समान है। भारत वर्तमान में 95 प्रकार (जिसमें 4 हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनजि 5 परमाणु खनजि 10 धात्विक 21 गैर-धात्विक एवं 55 छोटे खनजि शामिल हैं) के खनजि का उत्पादन करता है, लेकिन इस वृहद खनजि क्षमता के बावजूद भारत का खनन क्षेत्र अभी भी असंपष्ट है।
 - भारत के खनन क्षेत्र का [सकल घरेलू उत्पाद \(GDP\)](#) में केवल 1.75% का योगदान है, जबकि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की जीडीपी में खनन क्षेत्र का योगदान लगभग 7 से 7.5% तक है।
- **खनजि का उच्च आयात:** भारत लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य के खनजि का आयात करता है।
- **भारत के असंपष्ट खनन क्षेत्र :** भारत ने अब तक केवल 10% [संपष्ट भूवैज्ञानिक क्षमता \(OGP\)](#) वाले खनन क्षेत्रों की खोज की है।
 - भारत द्वारा OGP के केवल 5% क्षेत्र पर खनन कार्य किया जा रहा है।
 - ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में OGP के 70-80% क्षेत्र पर खनन किया जाता है।

MMDR (संशोधन) वधियक, 2021

उद्देश्य:

- **नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता:** यह वधियक [वॉचस वोट](#) (मौखिक रूप से जवाब देकर किसी वषिय पर दिया गया वोट) द्वारा पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य खानों की नीलामी प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता लाना है।
- **रोज़गार बढ़ाना:** इस संशोधन का प्रमुख उद्देश्य खनन क्षेत्र में रोज़गार उपलब्ध कराना तथा देश की कुल जीडीपी में इसके योगदान को बढ़ाना है।
 - खान मंत्रालय ने इन सुधारों के आधार पर लगभग 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार उपलब्ध कराने का दावा किया है।
- **घरेलू एवं वदिशी नविश को आकर्षित करना :** इस संशोधन के ज़रिये सरकार, खनन क्षेत्र में सुरक्षित और प्रभावी प्रौद्योगिकी को शामिल करने तथा घरेलू नविश के साथ-साथ वदिशी नविश को भी आकर्षित करने का प्रयास कर रही है।
 - सरकार ने नीतितगत बदलाव करते हुए [कोयला खनन एवं बकिरी गतिविधियों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष वदिशी नविश \(FDI\)](#) की अनुमति दे दी है, जिसमें कोयले की बकिरी के लिये संबद्ध प्रसंस्करण बुनियादी ढाँचा भी शामिल है।
- **जीडीपी में खनन क्षेत्र का योगदान बढ़ाना:** इसका प्रमुख उद्देश्य जीडीपी में खनन क्षेत्र के योगदान को कम-से-कम 2.75% (वर्तमान में लगभग 1.75%) तक बढ़ाना है।

प्रस्तावति संशोधन:

- **कैप्टवि और नॉन-कैप्टवि माइंस के मध्य अंतर को हटाना:** MMDR अधिनियम, 1957 केंद्र सरकार को किसी भी खदान जो कि केवल एक वशिष्ट उद्देश्य के लिये उपयोग की जाती है, को [कैप्टवि माइंस](#) के रूप में आकर्षित करने का अधिकार देता है।
 - यह वधियक कैप्टवि और नॉन-कैप्टवि माइंस के मध्य अंतर को दूर करता है, साथ ही माइंस को केवल एक वशिष्ट उद्देश्य / उद्योग / वशिष

क्षेत्र तक सीमिति नहीं कयिा जाएगा ।

- **कैप्टवि माइंस से नकिले गए अयस्क और खनजि:** इस संशोधन से पूरव कैप्टवि माइंस से नकिले गए अयस्कॉ का उपयोग केवल कैप्टवि या वशिषिट उद्योगों द्वारा कयिा जाता था ।
 - इस वधियक में यह चेतावनी दी गई है कि पट्टेदार द्वारा खुले बाज़ार में बेचे जाने वाले खनजिों के लयि सरकार को अतरिकित शुल्क चुकाना होगा ।
 - यह वधियक कैप्टवि खानों के पट्टाधारकों को वार्षिक अयस्क उत्पादन का 50% हसिसा खुले बाज़ार में बेचने की अनुमति देता है ।
 - खुले बाज़ार में बेचने की 50% की सीमा लचीली है, यद आवश्यक हो तो सरकार अधसिूचना के ज़रयि इस सीमा में वृधकिर सकती है ।
- **वैधानकि मंजूरीयों का हसतांतरण:** इस वधियक में कहा गया है कि सभी मंजूरीयों और लाइसेंस तब तक जारी रहेंगे जब तक खनजि भंडार का खनन नहीं कर लयिा जाता है और पट्टे के समापन या समाप्ति के बाद इसे अगले सफलतम बोलीदाता को हसतांतरति कर दयिा जाएगा ।
 - यह पछिली लीज़ अवधि वयवस्था के अंतरगत नविशकों को आकरषति करने में मदद करेगा । नए पट्टेदार को खानों की लीज़ दो वर्ष की अवधि के लयि पूरव-अंतरनहिति मंजूरी के साथ दी जाती है । इन दो वर्षों के दौरान नए पट्टेदार के लयि नई मंजूरीयों हासलि करना मुशकलि होगा ।
- **केंद्र सरकार की भागीदारी:** इस वधियक में कहा गया है कि यदि खदान के लयि पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है और राज्ज सरकार खदान की नीलामी करने में असमर्थ है, तो केंद्र सरकार (मुख्य उद्देश्य खदान को बेकार न छोड़ा जाए) नीलामी प्रकरयिा में भाग ले सकती है ।
- **गैर-अनन्य लाइसेंस वयवस्था को हटाना:** यह अधनियिम कंपनयिों को खनजि-क्षमता का पता लगाने के लयि खनन क्षेत्रों का पूरव-परीक्षण हेतु गैर-अनन्य लाइसेंस जारी करने का प्रावधान करता है ।
 - इस संशोधन वधियक में गैर-अनन्य लाइसेंस वयवस्था को हटाने का प्रावधान कयिा गया है ।
- **सरकारी कंपनयिों के खनन पट्टों का वसितार:** वधियक में कहा गया है कि सरकार ऐसी खान को अधकितम 10 वर्ष के लयि या जब तक नए पट्टेदार का चयन नहीं हो जाता, तब तक के लयि (इनमें से जो भी पहले हो) सरकारी कंपनी को दे सकती है । यह वधिार उपयोग की दृषुटि से अधकि कुशल है ।
 - राज्ज सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनकि क्षेत्र उद्यम (CPSE) को पट्टे पर देने के लयि अतरिकित रॉयल्टी का भुगतान कयिा जाएगा ।
- **ज़िला खनजि फाउंडेशन:** यह खनन कार्यो वाले ज़िलों में प्रभावति लोगों और क्षेत्रों के लाभ के लयि एक गैर-लाभकारी नकिय के रूप में स्थापति है । इसका वतितपोषण खनकिों के योगदान से कयिा जाता है ।
 - इस वधियक में यह प्रावधान कयिा गया है कि खनन क्षेत्र के वकिस के लयि धन खर्च करने के संदर्भ में भी केंद्र सरकार नरिदेश दे सकती ।

संबंधति चुनौतयिाँ:

- **पर्यावरणीय चतिा:** इस अधनियिम में सुधार भारत में अत्यधकि खनन की प्रवृत्ति को रोकेंगा, क्योकि यह देश के वकिस के लयि लाभदायक है । पर्यावरण के दृषुटिकोण से खनन हानकिारक है ।
- **जनजातीय समुदाय:** खनन क्षेत्रों के अंतरगत बहुतायत में जनजातीय समुदाय (वशिष रूप से कमज़ोर जनजातीय समुह, PVTGs) रहते हैं । खनन क्षेत्रों में वृधकि के कारण जनजातीय समुहों के नविास स्थान के लयि खतरा उत्पन्न होता है जसिकी वजह से पुनरवास और मुआवज़ा एक अहम मुद्दा बन गया है ।
- **राज्ज के मामलों में केंद्र सरकार का हसतक्षेप:** एक खदान की नीलामी प्रकरयिा संबंधी शक्तयिों राज्ज सरकार के हाथों में होती हैं, लेकनि दो पृथक राजनीतिक दलों के मामले में केंद्र और राज्ज के मध्य शक्तयिों में असपषुटता हो सकती है ।
 - राज्ज सरकारें नीलामी की पारदर्शी प्रकरयिा की तुलना में कम राजस्व प्राप्त होने की स्थति में सरकारी कंपनयिों को पट्टों के वसितार के लयि रॉयल्टी के नरिधारण पर आपत्ति कर सकती हैं ।
 - इसके अतरिकित ज़िला खनजि नधि के वय्य को नरिदेशति करने में केंद्र सरकार की भागीदारी भी राज्जों के लयि चतिा का वषिय है ।

आगे की राह:

- **खनन क्षेत्र में सुधारों को प्रोत्साहिति करना:** खनन क्षेत्र में सुधार करने से इस पर आशरति अन्य क्षेत्रों के वकिस को बढ़ावा मलिगा ।
 - खनन उत्पादन में तीव्र वृधकि से धातु और उनसे संबंधति उद्योगों को वकिसति करने में मदद मलिगी तथा ऑटोमोबाइल सेक्टर सहति अन्य उद्योगों को भी इससे लाभ मलिगा ।
- **आयात कम करना:** पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद भारत बड़ी मात्रा में कच्चे माल का आयात करता है । [आतमनरिभर भारत](#) की धारणा को पूरण करने में खनन एक महत्त्वपूर्ण पहलू साबति होगा ।
 - वर्तमान में कई उद्योग बड़ी मात्रा में कच्चे माल (स्टील, कॉपर आदि) का आयात करते हैं ।
- **एक स्वतंत्र नयिमक नकिय की आवश्यकता:** राज्ज और केंद्र में सत्तारूढ दलों के मध्य शक्तयिों की असपषुटता के कारण खनन क्षेत्र के वकिस को बाधति करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहयि ।
 - इसके लयि एक स्वतंत्र वनियिमन प्राधकिरण की ज़रूरत है जसि सार्वजनकि और आर्थकि वकिस के हति में काम करने हेतु अधकिार प्रदान कयिा जाना चाहयि ।
 - इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चति करना है कि संसाधनों का अधकितम उपयोग कसिी वशिष पक्ष के लयि न होकर देश के समग्र लाभ के लयि हो ।
- **केंद्र और राज्ज सरकारों के बीच सहयोग:** राज्ज सरकारों और केंद्र सरकार को खनन उद्योगों के सर्वोत्तम हति के लयि एक साथ मलिकर सहयोग एवं काम करना चाहयि और यह सुनिश्चति करना चाहयि कि खनन क्षेत्र में अधकि उन्नत प्रौद्योगिकियों को शामिल कयिा जाए ताकि अधकि-से-अधकि नविश को बढ़ावा मलि । इसके अतरिकित खनन क्षेत्र के लोगों के लयि खनन क्षेत्रों के आसपास रहने की वयवस्था के साथ ही उन्हें स्थानीय स्तर पर रोज़गार उपलब्ध कराया जाना चाहयि ।
- **पर्यावरण संबंधी चतिाओं से नपिटना:** खनन, पर्यावरण के अनुकूल है यह सुनिश्चति करने के लयि सरकार को वभिनिन स्तरों पर एक साथ मलिकर

काम करना चाहिये।

- खनन परियोजनाओं को मंजूरी पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव (पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, भूकंपीय अध्ययन और जैव विविधता) को ध्यान में रखते हुए दी जानी चाहिये।
- **नरियात और रोज़गार को बढ़ावा देना:** खनजि एक भारी उद्योग है क्योंकि इसमें पर्युक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं। खनजिों का नरियातक बनने के लिये भारत को अपने रेलवे ट्रैक, बंदरगाह क्षमता और शपिगि सुविधाओं के बुनयादी ढाँचे में सुधार करने की आवश्यकता है।
 - भारत को रोज़गार उपलब्ध कराने पर भी ध्यान देना चाहिये क्योंकि खनन क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर रोज़गार सृजन की बहुत अधिक संभावना है जो प्रवासन को रोकने में सहायक होगी और साथ ही शहरों को अत्यधिक प्रवासन की स्थिति से बचा सकती है।

खनन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संवैधान की सूची-II (राज्य सूची) के क्रम संख्या-23 में प्रावधान है कि राज्य सरकार को अपनी सीमा के अंदर मौजूद खनजिों पर नियंत्रण रखने का अधिकार है,
- सूची-I (केंद्रीय सूची) के क्रमांक-54 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार को भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के भीतर खनजिों पर नियंत्रण रखने का अधिकार है,
 - उपर्युक्त प्रावधान खान और खनजि (विकास और वनियमन) (MMDR) अधिनियम, 1957 का अनुसरण कर बनाया गया था।
- सभी अपतटीय खनजिों (भारतीय समुद्री क्षेत्र में स्थिति समुद्र या समुद्र तल से निकाले गए खनजि जैसे- प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शैलफ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र) पर केंद्र सरकार का स्वामित्व है।

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/the-big-picture-mines-minerals-bill>

